

संख्या: 529 / उन्नीस-1-2009-205 / 2002

प्रेषक,

दिवाकर त्रिपाठी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2009

विषय:-स्वतंत्र पत्रकारों को राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित अर्हता के संबंध में मार्गदर्शन देने विषयक।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०:1206/सू०एवंज०सं०वि०(प्रेस)-2009, दिनांक 17 अगस्त, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य मुख्यालय पर प्रेस मान्यता हेतु निर्गत मार्गदर्शिका, 2008 के परिशिष्ट 1(ए)(3)(3) में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए निर्धारित अर्हता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में सम्यक् विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्रदान करने के प्रकरणों में उन दैनिक समाचार पत्रों को प्रतिष्ठित माना जायेगा, जो बहुसंस्करणीय हों तथा जिनकी प्रमाणित प्रसार संख्या 1.00 लाख या उससे अधिक हो। इसी प्रकार उन साप्ताहिक समाचार पत्र/पत्रिकाओं को प्रतिष्ठित माना जायेगा, जो बहुसंस्करणीय हों तथा जिनकी प्रमाणित प्रसार संख्या 75 हजार या उससे अधिक हो। इसी प्रकार उन पाक्षिक पत्रिकाओं को प्रतिष्ठित माना जायेगा, जो बहुसंस्करणीय हों तथा जिनकी प्रमाणित प्रसार संख्या 75 हजार या उससे अधिक हो। उपरोक्त प्रसार संख्या वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं में प्रतिमाह कम से कम तीन आलेख/समाचार/न्यूज/फीचर/फोटोग्राफ आदि प्रकाशित कराने से नियमित प्रकाशन माना जायेगा।

कृपया स्वतंत्र पत्रकारों की राज्य मुख्यालय की मान्यता प्रकरणों में उपरोक्त मानक के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(दिवाकर त्रिपाठी)
सचिव